"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 123] रायपुर, बुधवार, दिनांक 23 मई 2012—ज्येष्ठ 2, शक 1934

कृषि विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 22 मई 2012

अधिसूचना

क्रमांक एफ 3-4/2012/14-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ कृषि (उद्यानिकी) लिपिक वर्गीय सेवा भर्ती नियम, 1987 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं. यह अधिसूचना दिनांक 17 जनवरी, 2012 से दो वर्ष की कालावधि के लिये प्रवृत्त रहेगी, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों की अनुसूची में,—

अनुसूची-एक के पश्चात्, निम्नलिखित टीप जोड़ी जाए, अर्थात् :—

"टीप— (1) दिनांक 17-01-2012 से प्रभावशील 2 वर्ष की कालावधि के लिए अनुसूची-एक के कॉलम (2) के सरल क्रमांक 8 में उल्लिखित सहायक ग्रेड-तीन/टाईपिस्ट तथा सरल क्रमांक 10 में उल्लिखित वाहन चालक/ट्रेक्टर चालक के पद जिला स्तरीय घोषित किये जाते हैं.

(2) दिनांक 17-01-2012 से प्रभावशील 2 वर्ष की कालावधि के लिए सहायक ग्रेड-तीन/टाईपिस्ट तथा वाहन चालक/ट्रेक्टर चालक के पद के लिए संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी नियुक्ति प्राधिकारी होंगे."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पारसनाथ राम, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 22 मई 2012

क्रमांक एफ 3-4/2012/14-1.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अनुसरण में इस विभाग का अधिसूचना दिनांक 22-05-12 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पारसनाथ राम, उप-सचिव.

Raipur, the 22nd May 2012

NOTIFICATION

No. F 3-4/2012/14-1.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Agriculture (Horticulture) Ministerial Service Recruitment Rules, 1987. This Notification shall come into force from the date of 17th January, 2012 for a period of two years, namely :—

AMENDMENT

In Schedule of the said rules,—

After Schedule-I, the following Note shall be added, namely :—

"**Note** — (1) The post of L.D.C./Typist mentioned at serial number 8 and Vehicle Driver/Tractor Driver mentioned at serial number 10 of column (2) of Schedule-I are declared as District level for a period of two years with effect from 17-01-2012.

(2) Director, Horticulture and Farm Forestry shall be Appointing Authority for the post of L.D.C./Typist and Vehicle Driver/Tractor Driver for a period of two years with effect from 17-01-2012."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
PARASNATH RAM, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2012.